राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(93)पराविे/प्र.1/क.अ./प्रति/पार्ट-II/01/3466 जयपुर, दिनांक :- 16/12/21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
(चूरू, हनुमानगढ, जैसलमेर, प्रतापगढ
एवं श्रीगंगानगर को छोडकर)

विषयः– जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों के कम में विभाग के अधीन पंचायत समितियों में जल संसाधन विभाग/सिंचाई विभाग द्वारा हस्तान्तरित कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों पर कार्यग्रहण कराये जाने बाबत्।

प्रसंगः– मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 19.06.2003।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 19.06.2003 द्वारा सिंचाई विभाग से पंचायती राज संस्थान को 80 से 300 हैक्टेयर सीसीए तक के तालाब/बांध संबधित पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गये थे।

अतः मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 19.06.2003 के अनुसरण में जल संसाधन विभाग के बजट मद (2701–80–197–(01–(01)–92) में 168 पंचायत समितियों में कनिष्ट अभियन्ता के स्वीकृत 168 पदों (संलग्न सूची अनुसार) पर इस संबंध में जारी पूर्व के आदेशों के अनुसार निम्न निर्देशों के साथ जल संसाधन विभाग द्वारा नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को कार्यग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें–

1. स्थानान्तरित किये गये स्टाफ का नियंत्रण अधिकारी केवल पंचायत राज संस्था होगी, किन्तु इनका संवर्ग नियन्त्रण अधिकारी पैतृक विभाग बना रहेगा। पैतृक विभाग से स्थानान्तरित स्टाफ भी पंचायत राज संस्था में उन्हीं नियमों से शासित होगा जिनसे वे पैतृक विभाग में शासित था।
2. पंचायत राज संस्था को स्थानान्तरित स्टाफ का पंचायत राज संस्था से पैतृक विभाग में या पैतृक विभाग से पंचायत राज संस्था में उसी पद के स्टाफ का स्थानान्तरण पैतृक विभाग, पंचायत राज विभाग की सहमति से कर सकेगा।
3. पंचायती राज संस्था को स्थानान्तरित स्टाफ के वही कर्त्तव्य पंचायती राज संस्था को स्थानान्तरित माने जावेंगे जो उसके कर्त्तव्य वर्तमान में थे।

उक्त पदों के वेतनमान इत्यादि हेतु बजट की मांग जल संसाधन विभाग से कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. घनश्याम)
निदेशक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–संबंधित।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

इन्दिरा गांधी नहर भवन मण्डल, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, ज्योति नगर मोड़, जयपुर–302005

क्रमांक : एफ.2(7)कनि.अभि.(नियुक्ति) / स्था–II/मुअजसं / 2021 / 492 दिनांक : 16.12.2021

प्रतिलिपि उपनिदेशक (आई.टी.), जेएलएन मार्ग, सिंचाई भवन, जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

(संजय भाटिया)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,
राजस्थान, जयपुर